

शादी किया गया एवं अन्य समारोह हेतु जन मिलन केन्द्र भवन/मैदान/पार्क एवं आवास आरक्षित करने हेतु आवेदन

1. प्रार्थी का नाम ..... मोबाइल नं. ....
2. पदनाम ..... विभाग का नाम .....
3. मैदान जिसे आरक्षित कराना है उसका नाम.....
4. अवधि ..... से दिनोंके तक कुल दिनों की संख्या .....
5. आवंटित कराने का उद्देश्य .....

कियाये का विवरण जो सम्बन्धित विभाग में जगा होना है।

क्र०सं०	विवरण	कियाया रु० प्रतिदिन		विभाग जहाँ कियाया जमा होना है	रसीद का विवरण जिसके द्वारा किया जमा किया गया
		विविहि० कर्मियों हेतु	अन्य हेतु		
1.	जनमिलन केन्द्र एवं रामलीला मैदान (जनमिलन एवं रामलीला मैदान संयुक्त रूप से)	2000.00	5000.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
2.	विविहिपरिसर के अन्य समस्त पार्क/मैदान	1000.00	2000.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
3.	विभिन्न पार्कों/मैदानों की सफाई एवं गड्ढे भराई प्रति समारोह	1000.00	1000.00	उप निदेशक, सामान्य खण्ड	
4.	रिक्त आवासों का प्रति कक्ष प्रतिदिन कियाया	300.00	500.00	परिसम्पत्ति कार्यालय	
5.	मैदानों का जलशुल्क प्रति समारोह	200.00	400.00	उप निदेशक, जलखण्ड	
6.	विद्युत कियाया	विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर	विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर	उप निदेशक, विद्युत खण्ड	

अन्य शर्तेः

1. विश्वविद्यालय के सेवारत् कर्मियों को देय सुविधा उनके अविवाहित पुत्र/पुत्रियों/आश्रितों(माता—पिता, अविवाहित भाई, को ही मान्य होगी)।
2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियों को अन्य श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित कियाया देय होगा।
- 3.विद्युत विभाग,जलकल विभाग एवं सफाई विभाग में जमा की गई राशि की रसीद परिसम्पत्ति कार्यालय में जमा कर उपरान्त ही सम्बन्धित पार्कों/मैदानों का अरथाई कब्जा मान्य होगा।
- 4.लालबाग एवं फलबाग के पार्क/मैदानों पर कार्यक्रम आयोजन की रवैकृति पूर्व की भौति कुलपति जी से प्राप्त की जायें।
- 5.कार्यक्रमों के दौरान ३०००/लाउडस्पीर का प्रयोग आवंटी (allottee)द्वारा करते हुये पाया जायेगा तो इसे आवंटन की शर्तों का उल्लंभन हो जायेगा। शास्ति की दर रु० 2,000.00 प्रतिघंटा निर्धारित की जाती है। शास्ति बसूल दायित्व विश्वविद्यालय सुरक्षा विभाग का होगा।
6. आरक्षित कराये गये भवन/पार्क/मैदान का उपयोग न किये जाने पर आवंटी द्वारा जमा करायी गई धनराशि वापस नह जायेगी।
- 7.उपरोक्त नियम व शर्तें मुख्य परिसर, नगला, हल्दी, पत्थरचट्टा आदि सभी केन्द्रों पर समान रूप से लागू होगी।
8. विश्वविद्यालय में नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य को उक्त सुविधा हेतु जमानती के रूप में विश्वविद्यालय के निकार्गी की सहमति आवश्यक होगी।
- 9.आवासों को आरक्षण उपलब्धता होने पर एक सप्ताह पूर्व किया जायेगा।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. उपरोक्त भवन/मैदान/आवास जिसे मैंने आरक्षित करने का अनुरोध किया है कि यदि आरक्षित अवधि में भवित्वी भी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगी।
2. स्मृजिक सिस्टम का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे के बाद नहीं करेंगा/करेंगी।
3. मेरे द्वारा उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का भली भौति अवलोकन कर लिया गया है व मुझे उक्त सभी नियम, स्वीकार्य हैं जिसका मैं अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगा/करेंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर .....

नाम एवं पता .....

विभागाध्यक्ष की संरक्षित

विविध कर्मियों के अतिरिक्त अन्य हेतु विविध नियमित कर्मियों की संस्थापना:

कर्मचारी का नाम .....

कर्मी के हस्ताक्षरी .....

पदनाम .....

कर्मी के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर .....

वेतन आहरण श्रोत .....

कैशियर परिसम्पत्ति विभाग/जल कल/विद्युत विभाग

कृपया वांछित भवन/आवास एवं पार्क आवेदित तिथि में आरक्षण हेतु रिक्त है। उक्त संबंधित रसीदें (किराया, सफाई एवं जल शुल्क) निर्गत करने की कृपा करें।

परिसम्पत्ति अधि

फौरमेन परिसम्पत्ति

श्री .....

पदनाम .....

विभाग .....

को भवन / पार्क एवं मैदान एवं आवास संख्या..... दिनांक ..... से दिनांक .....

तक आवंटित किया गया है। जिसका कब्जा देना सुनिश्चित करें। वांछित धनराशि रसीद सं.

दिनांक ..... द्वारा जमा की गई है।

परिसम्पत्ति अधि